उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797–E/Policy/Allowances
दिनांक : 10 /11/2017

RBE No.141/2017
NCR PS No.5181/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub:- Implementation of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission-Dress Allowance

The copy of Railway Board's letter No PC-VII/2017/I/7/5/7 dated 03.10.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action please.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No.- 64
File No. PC-VII/2017/I/7/5/7

RBE No. 141/2017
New Delhi, Dated: 03.10.2017

The General Managers/ CAOs(R),
All Indian Railways and Production Units,
(As per mailing list)

Subject: Implementation of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission – Dress Allowance.

In terms of extant instructions, the Uniform- related allowances being paid to Railway employees as admissible included Kit Maintenance Allowance, Shoe Allowance, Uniform Allowance and Washing Allowance.

2. Consequent to the decision taken by the Government on the recommendations of the 7th CPC, these uniform-related allowances have been subsumed into a single Dress Allowance. The President is pleased to approve payment of this Dress Allowance to the categories of employees and at the rates as listed below:

S.No.	Category of employee	Rate (in ₹)
1.	Officers of RPF/RPSF	20,000/- per annum
2.	Personnel Below Officer Rank of RPF, Station masters of Indian Railways	10,000/- per annum
3.	Other categories of staff who were supplied Uniforms and are required to wear them regularly like Trackmen, Running Staff of Indian Railways, Staff Car Drivers, MTS, Canteen staff of Non-Statutory departmental Canteens, etc.	5,000/- per annum
4.	Nurses	1800/- per month

3. With this notification of Dress Allowance, existing uniform-related allowances including those for maintenance & washing of uniforms, will no longer be payable separately. Existing orders for payment of such separate uniform-related allowances including Shoe Allowance therefore stand superseded.

4. With the payment of this Dress Allowance, categories of staff who were earlier being provided Uniforms, will henceforth not be provided with Uniforms.

5. The amount of Dress Allowance shall be credited to the salary of entitled employees directly once a year in the month of July.

6. This allowance covers only the basic uniform of the employees. Any special clothin like the fluorescent clothing provided to Trackmen of Indian Railways will continue to be provided by this Ministry as per existing norms.

7. The rates of Dress Allowance will go up by 25% each time Dearness Allowance rises by 50%.

8. **These orders shall take effect from 01st July, 2017.**

Hindi version will follow.

(Jaya Kumar G)
Deputy Director(Pay Commission) VII
Railway Board

No. PC-VII/2017/I/7/5/7 **New Delhi, dated: 03.10.2017**

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

No. PC-VII/2017/I/7/5/7 **New Delhi, dated: 03.10.2017**

Copy forwarded to :-

1. PFAs, All Indian Railways, PUs, NFR(Const).
2. The DG, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
3. The General Manager, CORE/Allahabad.
4. The Director General, RDSO, Lucknow,
5. The General Manager and PFA, Metro Railway
6. The CAO and PFA, COFMOW/New Delhi
7. The CAO(Const), MTP(R)/Mumbai
8. The CAO(MTP(R) Chennai
9. The Director, CAMTECH/Gwalior
10. The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune (c) IRIMEE, Jamalpur (d) IRISET, Secunderabad
11. The Managing Directors RITES, IRCON, CRIS, IRFC, CONCOR, RVNL, DFCCIL, KRCL.
12. The Chairman-cum-Managing Director, Konkan Railway Corporation, New Delhi.
13. The Pay & Accounts Officer, Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
15. The Commissioner, Railway Safety, Lucknow.

06
17/10

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

RBL-2017-2053
12-10-17

पीसी-VII सं.-64 आरबीई सं. 141/2017

सं. पीसी-VII/2017/I/7/5/7 नई दिल ली, दिनांक 03.10.2017

महाप्रबंधक/मुख य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण),
सभी भारतीय रेलें एवं उत पादन इकाइयां,
(डाक-सूची के अनुसार)

विषय: सातवें केन द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान वयन - पोशाक भत ता

विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, रेल कर्मचारियों को यथा स वीकार्य भुगतान किए जा रहे वर्दी से संबंधित भत तों में किट अनुरक्षण भत ता, जूता भत ता, वर्दी भत ता और धुलाई भत ता शामिल था।

2. सातवें केन द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस वरूप, वर्दी से संबंधित इन भत तों को एक सिंगल पोशाक भत ता में शामिल कर दिया गया है। राष ट्रपति द्वारा इन कोटि के कर्मचारियों को नीचे दिए गए दरों पर पोशाक भत ता प्रदान करना सहर्ष स वीकार किया गया हैं:

क्र. सं.	कर्मचारियों की कोटि	दर (रु में)
1.	रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अधिकारी	20,000/- प्रति वर्ष
2.	रेलवे सुरक्षा बल में अधिकारी से नीचे के ओहदे के पदाधिकारी, भारतीय रेलवे के स टेशन मास टर	10,000/- प्रति वर्ष
3.	अन य कोटि के कर्मचारी जिन हें वर्दी दिया जाता है और जिन हें नियमित रूप से पहनना अपेक्षित होता है; जैसेकि ट्रैकमैन, भारतीय रेलवे के रनिंग कर्मचारी, स टाफ कार ड्राइवर, एमटीएस, गैर-सरकारी विभागीय कैंटीनों के कैंटीन कर्मचारी आदि	5,000/- प्रति वर्ष
4.	नर्स	1800/- प्रति माह

3. पोशाक भत ते की इस अधिसूचना के साथ ही वर्दियों के अनुरक्षण और धुलाई सहित वर्दी

CPO/A
DY. CPO/GAZ
DY. CPO/IR
DY. CPO/HQ
CHAIRMAN/RRC
SPO/HQ
SPO/IR
APO/IR

FORMA OFFICIAL: PC-VII_New

से संबंधित मौजूदा भत् तों का अब अलग-अलग भुगतान नहीं किया जाएगा। अत:, जूता भत् ता सहित वर्दी से संबंधित ऐसे अलग-अलग भत्तों के भुगतान से संबंधित मौजूदा आदेशों को समाप् त किया जाता है।

4. पोशाक भत् ते के इस भुगतान के साथ ही, कर्मचारियों के उन कोटियों, जिन् हें पहले वर्दी मुहैया कराई जाती थी, को अब वर्दी नहीं मुहैया की जाएगी।

5. पोशाक भत् ते की राशि वर्ष में एक बार जुलाई माह में सीधे पात्र कर्मचारियों के वेतन खाते में जमा की जाएगी।

6. इस भत् ते में कर्मचारियों का केवल बेसिक वर्दी शामिल है। भारतीय रेलवे के ट्रैकमैन को दिए जाने वाले चमकीले कपड़ों जैसे विशेष वर्दी मौजूदा मानदण् डों के अनुसार दिए जाते रहेंगे।

7. प्रत् येक बार महंगाई भत् ता 50% बढ़ जाने की स्थिति में वर्दी भत् ते की दर में 25% की वृद्धि की जाएगी।

8. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।

(जया कुमार जी)
उप निदेशक(वेतन आयोग)VII
रेलवे बोर्ड

PORNA OFFICIAL; PC-VII_New